

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय

उत्तर-प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण लखनऊ .

सन्दर्भ - शासनादेश सं. ०५/२०२३ प्रपत्र सं. - ५३/ एक-१-२०२३ रा. -१ उत्तर-प्रदेश लखनऊ.

विषय- फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्राइवेट लि०फोर्थ पार्टनर हाउस एच एम टी नगर हैदराबाद को 70 मेगा वाट ( 100 MWp ) सोलर प्लांट लगाने हेतु ग्राम बुद्धपुरा बबीना तहसील झाँसी में स्थित कुल रकवा 47.33 एकड़ मतरूक/ सरकारी तथा ग्राम बैजपुर जिला व तहसील झाँसी में स्थित कुल रकवा 13.32 एकड़ सरकारी भूमि का मियादी पट्टा प्रदान करने हेतु.

महोदय,

निवेदन है कि फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्राइवेट लि०फोर्थ पार्टनर हाउस एच एम टी नगर हैदराबाद को 70 मेगा वाट ( 100 MWp ) सोलर प्लांट लगाने हेतु ग्राम बुद्धपुरा, बैजपुर, खाड़ी, हीरापुर(बबीना) तहसील व जिला झाँसी 330 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमे काश्तकारो द्वारा उनकी सहमति से 225 एकड़ भूमि का 30 वर्षीय मियादी पट्टे की सम्बंधित रजिस्टार के यहाँ रजिस्टर्ड लीज किया जा चुका है और उनको उनकी भूमि का किराया भी दिया जा रहा है. जिसमे प्रस्तावित भूमि के बीच में की खसरा सं. 1119/13 रकवा 0.027 एकड़ 1122/2 रकवा 5.39 एकड़ 1122/3 रकवा 0.61 एकड़ 1124/10 रकवा 0.15 एकड़ 1124/11 रकवा 0.09 एकड़ 1124/13 रकवा 0.009 एकड़ 1124/15 रकवा 0.76 एकड़ 1124/20 रकवा 0.36 एकड़ 1124/25 रकवा 3.87 एकड़ 1124/26 रकवा 4.59 एकड़ 1124/27 रकवा 1.38 एकड़ 1124/29 रकवा 0.019 एकड़ 1124/32 रकवा 1.26 एकड़ 1124/33 रकवा 1.6 एकड़ 1124/34 रकवा 2.94 एकड़ 1124/35 रकवा 0.24 एकड़ 1124/36 रकवा 0.37 एकड़ 1124/37 रकवा 2.96 एकड़ 1115 रकवा 7.25 एकड़ 1119 रकवा 10.95 एकड़ 1121 रकवा 2.44 एकड़ कुल रकवा 47.33 एकड़ भूमि ग्राम बुद्धपुरा तहसील झाँसी की मतरूक / सरकारी तथा ग्राम बैजपुर, तहसील झाँसी में खसरा नंबर 5 रकवा 0.55 एकड़ 49 रकवा 0.90 एकड़ 43 मि रकवा 0.70 एकड़ 29 रकवा 3.77 एकड़ 44 रकवा 1.51 एकड़ 41 रकवा 0.44 एकड़ 42 रकवा 0.61 एकड़ 26 रकवा 0.64 एकड़ 4 रकवा 0.034 एकड़ 36मि रकवा 0.098 एकड़ 35 रकवा 1.64 एकड़ 38 रकवा 0.33 एकड़ 55मि रकवा 0.29 एकड़ 59मि रकवा 1.53 एकड़ 63 रकवा 0.29 एकड़ कुल रकवा 13.32 एकड़ सरकारी भूमि आ रही है. इसलिए उक्त नम्बरों को कंपनी को मियादी पट्टा 30 वर्षीय प्रदान किया जाना अति आवश्यक है उक्त भूमि को प्लांट में उपयोग करने के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश नियमो के अनुरूप जो भी किराया होगा उसे प्रार्थी राज्य सरकार के खाते में प्रति वर्ष जमा करने के लिए तैयार है. उक्त भूमि सोलर पॉवर प्लांट के बीच में पड़ने के कारण अन्य किसी उपयोग के लायक नहीं है.

अतः प्रार्थी आपसे निवेदन करते है कि खसरा सं. 1119/13 रकवा 0.027 एकड़ 1122/2 रकवा 5.39 एकड़ 1122/3 रकवा 0.61 एकड़ 1124/10 रकवा 0.15 एकड़ 1124/11 रकवा 0.09 एकड़ 1124/13 रकवा 0.009 एकड़ 1124/15 रकवा 0.76 एकड़ 1124/20 रकवा 0.36 एकड़ 1124/25 रकवा 3.87 एकड़ 1124/26 रकवा 4.59 एकड़ 1124/27 रकवा 1.38 एकड़ 1124/29 रकवा 0.019

एकड़ 1124/32 रकवा 1.26 एकड़ 1124/33 रकवा 1.6 एकड़ 1124/34 रकवा 2.94 एकड़ 1124/35 रकवा 0.24 एकड़ 1124/36 रकवा 0.37 एकड़ 1124/37 रकवा 2.96 एकड़ 1115 रकवा 7.25 एकड़ 1119 रकवा 10.95 एकड़ 1121 रकवा 2.44 एकड़ कुल रकवा 47.33 एकड़ ग्राम बुद्धपुरा तहसील व जिला झाँसी की मतरूक/ सरकारी तथा ग्राम बैजपुर तहसील व जिला झाँसी में खसरा नंबर 5 रकवा 0.55 एकड़ 49 रकवा 0.90 एकड़ 43 मि रकवा 0.70 एकड़ 29 रकवा 3.77 एकड़ 44 रकवा 1.41 एकड़ 41 रकवा 0.43 एकड़ 42 रकवा 0.61 एकड़ 26 रकवा 0.63 एकड़ 4 रकवा 0.034 एकड़ 36मि रकवा 0.098 एकड़ 35 रकवा 1.64 एकड़ 38 रकवा 0.33 एकड़ 55मि रकवा 0.29 एकड़ 59मि रकवा 1.53 एकड़ 63 रकवा 0.29 एकड़ कुल रकवा 13.32 एकड़ सरकारी भूमि का 30 वर्षीय पट्टा जारी करने के उचित आदेश जारी करने की कृपा करे. ताकि समय से सोलर प्लांट की स्थापना की जा सके.

संलग्न :

1. प्रमाणित खतौनी नक़ल की छायाप्रति
2. संयुक्त प्रमाणित नक्शा
3. उत्तर-प्रदेश अधिसूचना की छायाप्रति

प्रार्थी

1. फ़ोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा. लि. फ़ोर्थ पार्टनर हाउस एच एम टी नगर हैदराबाद पिनकोड 500076
2. फ़ोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा. लि. बेसमेंट जे 1/37 डी एल एफ़ फ़ेस गुरुग्राम पिन कोड 122002

**Gram Samaj Land Gram - Baijpur Tehsil & Dis - Jhansi UP**

S.No.	Khata No.	Khasra No.	Area Hec.	Area Acres	Land Class	Village
1	00293	4	0.014	0.034	Banjar	Baijpur
2		5	0.222	0.55		
3		26	0.259	0.64		
4		29	1.526	3.77		
5		36 MI	0.04	0.098		
6		35	0.664	1.64		
7		38	0.134	0.33		
8		41	0.178	0.44		
9		42	0.247	0.61		
10		43 MI	0.284	0.7		
11		44	0.615	1.51		
12		49	0.36	0.89		
13		55 MI	0.121	0.29		
14		59MI	0.323	0.79		
15		59 MI	0.3	0.74		
16		63 MI	0.121	0.29		
			<b>5.408</b>	<b>13.32</b>		

**Gram Samaj Land Dis & Tehsil- Jhansi Gram- Budhpura**

S.No.	Khasra No.	Khata No.	Area Hec.	Aera Acres	Land Class	Village
1	1119	406	4.434	10.956414	Banjar	Budhpura
2	1121		0.987	2.438877		
3	1115	405	2.934	7.249914	Naveen Parti	
			<b>8.355</b>	<b>20.645</b>		

S.No.	Khasra No.	Area Hec.	Area Acres	Land Class	Remarks
1	1119/13	0.011	0.027	मतरूक	Budhpura
2	1122/2	2.182	5.39	मतरूक	
3	1122/3	0.25	0.61	मतरूक	
4	1124/10	0.061	0.15	मतरूक	
5	1124/11	0.04	0.09	मतरूक	
6	1124/13	0.04	0.09	मतरूक	
7	1124/15	0.31	0.76	मतरूक	
8	1124/20	0.148	0.36	मतरूक	
9	1124/25	1.57	3.87	मतरूक	
10	1124/26	1.86	4.59	मतरूक	
11	1124/27	0.56	1.38	मतरूक	
12	1124/29	0.008	0.019	मतरूक	
13	1124/32	0.51	1.26	मतरूक	
14	1124/33	0.65	1.6	मतरूक	
15	1124/34	1.19	2.94	मतरूक	
16	1124/35	0.1	0.24	मतरूक	
17	1124/36	0.15	0.37	मतरूक	
18	1124/37	1.201	2.96	मतरूक	
		10.84	26.706		

## कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

संख्या- 16 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / 2023

दिनांक जनवरी 16, 2024

### आदेश

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शाराकीय कार्यालय-झाप (संशोधन) उ0प्र0 शारान राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4)के खण्ड(ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

### अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1119	4.434	श्रेणी 5(3) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					1115	2.934		
					1121	0.987		
					1119मि०	0.110		
					1122/2मि०	1.900		
					1122/3	0.282		
					1124/3मि०	0.210		
					1124/4मि०	0.031		
					1124/5	1.082		
					1124/8मि०	0.083		
					1124/10मि०	0.076		
					1124/20मि०	0.172		
					1124/26मि०	1.963		
					1124/29मि०	0.008		
					1124/32	0.538		
1124/33	0.685							
1124/34	1.240							
1124/37मि०	1.201							
1124/11	0.070							
1124/13	0.058							

1124 / 15	0.380
1124 / 35	0.100
1124 / 36	0.180
23 फीता	17.724 हे०

जनपद झोंसी में गैरसर्वा फोर्थ पार्टनर सोलर पाओलि० (यूपीनेडा एवं टी०एच०डी०सी०आई०एल० के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु गैरसर्वा फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्राओलि० हैदराबाद के ई-मेल पर दिनांक 17.08.2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सोओपाओ प्राओलि०/50 मेवा/सरकारी भूमि लीज/2023 उओप्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड मोगतीनगर, लखनऊ दिनांक 16.07.2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उओप्र० को ग्राम दुदपुरा तहसील झोंसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय जाप (संशोधन संख्या-5/2023/पओस०-53/एक-1-2023 सं०-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति० ऊओसोओवि०/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 17.724 हे० (44.00 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रू० 44.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उओप्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व - 0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(अविनाश कुमार)  
जिलाधिकारी, झोंसी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

33. प्रमुख सचिव, उओप्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
34. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उओप्र० शासन।
35. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उओप्र० अनुभाग-5, लखनऊ।
36. आयुक्त महोदय, झोंसी मण्डल झोंसी।
37. निदेशक यूपीनेडा लखनऊ।
38. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उओप्र० इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
39. मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
40. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, झोंसी को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा कराये, दो प्रतियां सम्बन्धित मामलों में चरपा कराकर वृहद प्रचार-प्रसार कराये तथा दो प्रतियां रजिस्ट्रार कानूनों को अमलदरामद करके नकल स्वतंत्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अविनाश कुमार)  
जिलाधिकारी, झोंसी

**आदेश**

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4)के खण्ड(ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बैजपुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

**अनुसूची**

क्र.	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					04	0.014	श्रेणी 5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					05	0.222		
					36मि०	0.040		
					35	0.664		
					38	0.134		
					41	0.178		
					42	0.274		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	43मि०	0.284		
					44	0.615		
					49	0.368		
					55मि०	0.121		
					59मि०	0.323		
					59मि०	0.300		
					63मि०	0.121		
					14 किता	3.631हे०		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा०लि० (यूपीनेडा एवं टी०एच०डी०सी०आई०एल० के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा०लि० हैदराबाद के ई-मेल पत्र दिनांक 17.08.2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो०प्रा० प्रा०लि०/50 मे.वा/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16.07.2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम

109/02/2024



(2)

वैजपुर तहसील झोंसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय झाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0स00वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 3.631 हे0 (08.97 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रू0 09.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्ग्रहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रवीण प्राप्तियों में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से गिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

(अविनाश कुमार)  
जिलाधिकारी, झोंसी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01-प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 02-अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 03-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-5, लखनऊ।
- 04-आयुक्त महोदय, झोंसी मण्डल झोंसी।
- 05-निदेशक यू0पी0 नेडा लखनऊ।
- 06-परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, झोंसी।
- 07-निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 08-मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
- 09-उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, झोंसी को इस निर्देश के साथ कि वह एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये, दो प्रतियां सम्बन्धित ग्रामों में चस्पा कराकर वृहद प्रचार-प्रसार कराये तथा दो प्रतियां रजिस्ट्रार कानूनगों को अमलदरामद करके नकल खतौनी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(अविनाश कुमार)  
जिलाधिकारी, झोंसी

संख्या- 64 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुर्नग्रहण / 2023-24

**कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।**

दिनांक: फरवरी, 26, 2024

**संशोधित आदेश**

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(3)/2016 दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनू दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4)के खण्ड(ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अविनश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

**अनुसूची**

क्र.	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1115	2.936	श्रेणी 5(3) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
					1119	4.434		
					1121	0.987		
					1119मि0	0.011		
					1122/2मि0	1.900		
					1122/3	0.282		
					1124/3मि0	0.210		
					1124/4मि0	0.031		
					1124/5	1.082		
					1124/8मि0	0.083		
					1124/10मि0	0.076		
					1124/20मि0	0.172		
					1124/26मि0	1.963		
					1124/29मि0	0.008		
					1124/32	0.538		
					1124/33	0.685		
					1124/34	1.240		
					1124/37मि0	1.201		
					1124/11	0.070		
					1124/13	0.058		
					1124/15	0.380		
					1124/35	0.100		
					1124/36	0.180		
23 किता	18.625 हे०							



PO-नेडा

LCDO  
27.2.24